



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-05/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम पालौदा भूमि ख0न0 511 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह पर गैरसायल बिजेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति रावत निवासी रसीदपुर द्वारा जिन्स सरसों काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल ने अपना जवाब साधे कागज पर पेश कर अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया।</p> <p>अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 4.40 रुपये का 50 गुणा 220 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">मांगी नायब तहसीलदार तहसील मण्डवापर (दोसा)</p> <p>रा0 ए0 स0 4 वर्ष-2078 की तहसील मण्डवापर (दोसा) पृ0 स0 29 पर 220 रु रु मांग कायम की गई</p> <p style="text-align: center;">तहसील राजस्व लेखाका</p>	


फर्द बेदखली

आज दिनांक 17.9.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदारजी, महवा
 क्रमांक -RA/2021/140-141 दिनांक 27/12/2021 की पालना में ग्राम पालोहा के
 खसरा नंबर 511 रकबा 2.47 हे. किस्म चारागाह मौके
 पर आया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में 0.10 हे. भूमि पर श्री
 विजेन्द्र पुत्र मूलचंद जाति रावल
 निवासी रसोईपुर ने अतिचार करके फसल सरसो काशत कर रखी
 है।

उक्त भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को कब्जा राज लिया
 गया।





 7-3-22
 14R 24/6/5



 हस्ताक्षर पटवारी


फर्द नीलामी


आज दिनांक 7.3.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार जी,
 महवा क्रमांक -RA/2021/140-141 दिनांक 27/12/2021 की पालना में ग्राम पालोहा के
 खसरा नंबर 511 रकबा 0.10 हे. फसल सरसो जो
 कि श्री मूलचंद विजेन्द्र पुत्र मूलचंद
 जाति रावल निवासी रसोईपुर द्वारा अतिचार करके काशत करी गई, को
 मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर फसल को कब्जा राज लिया गया तथा मौके पर नीलाम
 किया गया। जिसकी नीलामी बोली निम्न प्रकार रही :-

क्र०सं०	नाम बोलीदार	राशि	हस्ताक्षर
1.	अजय कुमार उर अजयलक्ष्मण शशि	850	
2.	विक्रम उर नारायण जोशी पालोहा	900	विक्रम
3.	शैरसिंह उर मूलचंद रावल रसोईपुर	950	शैरसिंह

उक्त बोली से अधिक किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। अतः श्री.....
 शैरसिंह पुत्र श्री मूलचंद जाति रावल
 निवासी रसोईपुर के नाम राशि रू० 950 में अन्तिम बोली 10 ल० स० 4 वर्ष 2078 की
 पृ० सं० 29 पर 950 रु रक
 मांग कायम की गई।
 छोड़ी गई।


 7-3-22


 7-3-22
 14R

स्वीकृत

 तहसीलदार
 महवा जिला दोसा

10 ल० स० 4 वर्ष 2078 की
 पृ० सं० 29 पर 950 रु रक
 मांग कायम की गई।
 तहसील राजस्व तज्जक